नोटिस/महत्वपूर्ण सूचना

"जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021" के आयोजन हेतु निर्गत शासनादेश सं0 141/68-3-2021 दिनांक 18.02.2021 एवं उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली 1978 (सातवां संशोधन) नियमावली 2019 की अधिसूचना दिनांक 04.12.2019 के नियम-4 में दिये गये निर्देशानुसार शिक्षा स्नातक (बी0एड0) अभ्यर्थियों हेतु कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ-स्नातक होने की अनिवार्यता है।

अतः बी0एड0 अर्हताधारी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक होने की स्थिति में भर्ती परीक्षा हेतु आनलाइन आवेदन न करें साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उक्त निर्धारित अर्हता न होने के उपरान्त भी भर्ती परीक्षा हेतु आनलाइन आवेदन पूरित किया गया है उनके आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे एवं भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

सचिव

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज